न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0.

प्रकरण संख्या –126/2019 (Bank Case)

खुश हाउसिंग फाईनेंस प्रा.लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय –810, ऑरा बिप्लेक्स एस बी रोड बोरीवली पश्चिम मुम्बई 400092 में स्थित है ।
– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री दिलीप कुमार (ऋणी)
पता– 5648 ग्राम चन्द्रपुरा ग्राम पंचायत हाथीखेडा खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा–326518
2. कालीबाई मीणा (सह ऋणी)
पता– 5648 ग्राम चन्द्रपुरा ग्राम पंचायत हाथीखेडा खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा–326518

(अप्रार्थीगण ऋणी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 20.11.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि खुश हाउसिंग फाईनेंस प्रा.लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय –810, ऑरा बिप्लेक्स एस बी रोड बोरीवली पश्चिम मुम्बई से अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.9.2018 को 4,00,000/–(अक्षरेः रूपये चार लाख मात्र) ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति दिलीप कुमार की सम्पत्ति पट्टा नं. 5648 ग्राम पंचायत हाथीखेडा, पं0स0 खैराबाद जिला कोटा, राजस्थान पिन–326518 राजस्थान जिसका कुल क्षैत्रफल 722 वर्ग मीटर है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत हाथीखेडा द्वारा दिनांक 28.6.2017 को जारी किया गया, जिसकी चर्तु सीमा– पूर्व में– मदनजी का मकान, पश्चिम में–दिलीप जी का मकान, उत्तर में–रामलाल जी का मकान, दक्षिण में–आम रास्ता का प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 12.01.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । बकाया राशि रूपये 4,18,829/–(अक्षरेः चार लाख, अट्ठारह हजार, आठ सौ उन्तीस मात्र) दिनांक 03.5.2019 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

निकलते है को पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 03.05.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति इसके पश्चात भी ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुंदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 03.05.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति इसके पश्चात भी ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 03.05.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की **अचल सम्पत्ति दिलीप कुमार की सम्पत्ति पट्टा नं. 5643 ग्राम पंचायत हाथीखेडा, पं0स0 खैराबाद जिला कोटा, राजस्थान पिन–326518 राजस्थान जिसका कुल क्षैत्रफल 722 वर्ग मीटर है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत हाथीखेडा द्वारा दिनांक 28.6.2017 को जारी किया गया, जिसकी चर्तु सीमा– पूर्व में– मदनजी का मकान, पश्चिम में–दिलीप जी का मकान, उत्तर में–रामलाल जी का मकान, दक्षिण में–आम रास्ता का** भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 20.11.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner